

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

27 मई, 2016 ई०

सं० परिषद-9/279-सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 720/15-07-2016, दिनांक 20 मई, 2016 द्वारा परिषद विनियमों के अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम) के विनियम-17(7) के क्रम 34 के पश्चात् नवीन क्रम 35 को निम्नवत् रूप में जोड़े जाने की स्वीकृति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदान कर दी है-

पूर्व व्यवस्था	संशोधित विनियम
विनियम-17(7) क्रमांक-1 से 34	विनियम-17(7) क्रमांक-1 से 34 तक यथावत्। 35-प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा।

श्रीमती शैल यादव,
सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र दिनांक 28-05-2016 के भाग-4 में प्रकाशित विज्ञापित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

डी०एस०यू०पी०-40 मा०शि०पी०-23-09-2016-500 प्रतियां (मोनो/डी०टी०पी०/आफसेट)।